रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 810] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2016/अग्रहायण 3, 1938
No. 810] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2016/ AGRAHAYANA 3, 1938

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1088(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:-**

(1) इन नियमों को रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2016 कहा जाएगा ।

(2) ये 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी माने जाएंगे ।

2. **नियम 3 के लिए नए नियम का प्रतिस्थापन 3:-** रेल दावा अधिकरण, (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 3 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"3. वेतन--- अध्यक्ष दो लाख पचास हजार रुपये प्रतिमाह, उपाध्यक्ष दो लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह और सदस्य सा.का.नि. 746 (अ) दिनांक 28 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग क में निर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स के लेवल 16 (205400 रू.-224400 रू.) में संशोधित वेतन प्राप्त करेंगे । 1 जनवरी, 2016 को वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल में सदस्य का वेतन मौजूदा मूल वेतन अर्थात् मौजूदा वेतन बैंड तथा ग्रेड पे में आहरित वेतन को 2.57 के गुणक से गुणा करके प्राप्त राशि को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करके प्राप्त आंकड़ों को वेतन मैट्रिक्स के उस लेवल में निर्धारित किया जाएगा तथा यदि ऐसा कोई समान आंकड़ा वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल में किसी

सेल के तदनुरूपी है, तो वह वेतन होगा तथा यदि लागू लेवल में ऐसी कोई सेल उपलब्ध नहीं है तो वेतन मैट्रिक्स के उस लागू लेवल में ठीक अगले उच्चस्तर सेल में वेतन निर्धारित किया जाएगा:

परन्तु किसी व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के मामले में जो उच्च न्यायालय के जज के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो तथा जो पेंशन, उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान अथवा किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो अथवा प्राप्त किया हो अथवा उसके लिए पात्र हो गया हो, का वेतन पेंशन अथवा पेंशनभोगी की सकल राशि अथवा अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के समतुल्य पेंशन अथवा किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति लाभ यदि कोई लिया हो अथवा लिया जाना हो, में से घटा दिया जाएगा"।

[संख्या 2016/टीसी(आरसीटी)/1/VIIसीपीसी]

रविनेश कुमार, कार्यपालक निदेशक, (लोक शिकायत, रेलवे बोर्ड)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्र सरकार ने रेल दावा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतनमान और सेवा के नियम एवं शर्तों को 01 जनवरी 2016 से संशोधित करने को अनुमोदन दे दिया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से रेल दावा अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. 844 (अ.) तारीख 19 सितम्बर, 1989 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात सा.का.नि. 726 (अ.) तारीख 6 दिसम्बर, 1991, सा.का.नि. 185 (अ.) तारीख 11 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 436 (अ.) तारीख 26 सितम्बर, 1996, सा.का.नि. 563 (अ.) तारीख 7 सितम्बर, 1998, सा.का.नि. 96 (अ.) तारीख 10 फरवरी, 1999, सा.का.नि. 835 (अ.) तारीख 30 दिसम्बर, 1999, सा.का.नि. 733 (अ.) तारीख 21 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 386 (अ.) तारीख 25 मई, 2001, सा.का.नि. 206 (अ.) तारीख 11 मार्च, 2002,सा.का.नि. 625 (अ.) तारीख 29 अगस्त, 2008, सा.का.नि. 797 (अ.) तारीख 18 नवम्बर 2008,सा.का.नि. 828 (अ.) तारीख 12 नवम्बर, 2009 के सा.का.नि 796 (अ) तारीख 13 नवम्बर, 2014 और सा.का. नि. 13(अ) 6 जनवरी, 2015, सा.का.नि. 724(अ) तारीख 26 फरवरी, 2015 तथा सा.का.नि. 500 (अ) तारीख 12 मई 2015 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2016

G.S.R. 1088(E).--- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 30, read with section 30A of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :-

1. **Short title and commencement:**---

(1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

Substitution of new rule for rule 3:--- In the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

*"**3. Pay:---** The Chairman shall receive a pay of rupees two lakh and fifty thousand per mensem, a Vice-Chairman shall receive a pay of rupees two lakh and twenty five thousand per mensem and a Member shall receive pay in level-16 (Rs.205400-224400) of pay matrix specified in Part A of the Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 published vide G.S.R. 746(E) dated the 28th July, 2016. The pay of the Member as on the 1st January, 2016 in the applicable level of the pay matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay i.e. pay drawn in the existing Pay Band and Grade Pay by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupees and the figure so arrived at will be located in that level in the pay matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable level of the pay matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable level of the pay matrix:*

Provided that in the case of appointment as Chairman, Vice-Chairman or Member of a person who has retired as a Judge of a High Court, or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt or has received of, or has become entitled to receive any retirement benefits, by way of pension, gratuity, employer's contribution to a Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn, or to be drawn by him."

[No.2016/TC(RCT)/1/VII CPC]
RAVINESH KUMAR, Executive Director, (Public Grievances, Railway Board)

Explanatory Memorandum

The Central Government has accorded approval to revise the scales of pay and certain terms and conditions of services of Chairman, Vice-Chairman and Members of the Railway Claims Tribunal with effect from 1st January, 2016. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and the Members of the Railway Claims Tribunal is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note :- The principal rules were published vide number G.S.R. 844(E), dated the 19th September, 1989 and subsequently amended vide numbers G.S.R 726 (E), dated the 6th December, 1991, G.S.R. 185 (E), dated the 11th April, 1996, G.S.R. 436 (E), dated the 26th September, 1996, G.S.R. 563 (E), dated the 7th September, 1998, G.S.R. 96 (E), dated the 10th February, 1999, G.S.R. 835 (E), dated the 30th December, 1999, G.S.R. 733(E), dated the 21st September, 2000, G.S.R. 386 (E), dated the 25th May, 2001, G.S.R. 206 (E), dated the 11th March, 2002, G.S.R. 625 (E), dated the 29th August, 2008, G.S.R. 797 (E), dated the 18th November, 2008, G.S.R. 828(E), dated the 12th November, 2009, G.S.R. 796(E), dated the 13th November, 2014, G.S.R. 13(E), dated the 6th January, 2015, G.S.R. 124(E), dated the 26th February, 2015 and G.S.R. 500(E), dated the 12th May, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.11.25 16:24:15 +05'30'